झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

अधिसूचना

संख्या–04/आ0–वि0–01–1001/2019...4762.../राँची, दिनांक–25/11/22 श्री रणजीत कुमार ठाकुर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, लातेहार, सम्प्रति–प्रभारी कार्यपालक अभियंता, पयेजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, सरायकेला द्वारा पयेजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, लातेहार अंतर्गत निविदा शर्तों के विरूद्ध आयोग्य संवेदकों को कार्य आवंटित करते हुए अनियमितता बरतने संबंधी आरोप उपायुक्त, लातेहार से प्राप्त पत्र द्वारा प्रतिवेदित किया गया ।

2. विभाग द्वारा उक्त आरोपों की जाँच क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राँची प्रक्षेत्र, राँची से कराते हुए प्रतिवेदन प्राप्त किया गया, जिसमें तत्कालीन अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा निविदा संख्या–11/2017–18 के ग्रुप A एवं B में निविदा के शर्तों के उल्लंघन एवं निविदा निष्पादन में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाये गये।

3. राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण मामले के समीक्षोपरान्त विभागीय अधिसूचना संख्या–1200 दिनांक–28.02.2022 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम–17 के तहत् श्री ठाकुर के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

4. उपरोक्त मामले के जाँचोपरान्त जाँच संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–187 दिनांक–27.07.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया । जिसमें जाँच पदाधिकारी ने श्री ठाकुर के विरूद्ध गठित दोनों आरोप संख्या–01 एवं 02 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

5. तत्पश्चात् उपरोक्त प्रमाणित प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–3643 दिनांक–24.08.2022 द्वारा श्री ठाकुर से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया । उक्त के अनुपालन में श्री ठाकुर के पत्रांक–शून्य दिनांक–20.09.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसकी समीक्षा विभाग द्वारा की गई एवं यह पाया गया कि श्री ठाकुर द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य प्रतिवेदित नहीं किया गया है।

6. इस प्रकार जाँच संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री ठाकुर के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में वर्णित बिन्दुओं के सम्यक् समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार द्वारा जाँच संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री ठाकुर के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम–14 के तहत एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध किये जाने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

7. अतएव उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में श्री रणजीत कुमार ठाकुर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पयेजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, लातेहार, सम्प्रति–प्रभारी कार्यपालक अभियंता, पयेजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, सरायकेला के विरूद्ध **"एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने"** का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(पशुपति नाथ मिश्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 04/आ0–वि0–01–1001/2019 4763 राँची, दिनांक– 25/11/22
प्रतिलिपि:–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–04/आ0–वि0–01–1001/2019 4763 राँची, दिनांक– 25/11/22
प्रतिलिपि:–प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अवर सचिव, वित्त विभाग (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 04/आ0–वि0–01–1001/2019 4763 राँची, दिनांक– 25/11/22
प्रतिलिपि:–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/ सभी मुख्य अभियंता /सभी संयुक्त सचिव/ सभी अधीक्षण अभियंता (यॉंत्रिक सहित)/ उप सचिव/अवर सचिव (प्रशाखा–01 एवं 10)/सभी कार्यपालक अभियंता (यॉंत्रिक सहित)/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–04/आ0–वि0–01–1001/2019 4763 राँची, दिनांक– 25/11/22
प्रतिलिपि:– श्री रणजीत कुमार ठाकुर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पयेजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, लातेहार, सम्प्रति–प्रभारी कार्यपालक अभियंता, पयेजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, सरायकेला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–04/आ0–वि0–01–1001/2019 4763 राँची, दिनांक– 25/11/22
प्रतिलिपि:–श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वक (IT) (PMU), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

24.11.22